न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1212–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–2–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 70/2012–13/अपील.

श्रीमती रूपा देवी पत्नि शैलेन्द्र सक्सैना
निवासी ग्राम डामरौन तहसील करैरा
जिला शिवपुरी म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. दयाराम पुत्र वैद्यनाथ वैश्य (फौत) वारिसान :–
2. जगदीश प्रसाद पुत्र दयाराम
3. सुरेशचन्द्र पुत्र दयाराम
4. रामकिशन पुत्र लड्डू यादव
   निवासीगण ग्राम दिनारा तहसील
   करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक आवेदक
श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 4

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो के अनुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक मृतक दयाराम एवं रामकिशन ने तहसील न्यायालय में ग्राम तोर मोदी स्थित भूमि सर्वे कमांक 200, 2677 रकबा 20X80 अर्थात 1600 वर्गफीट पर रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय ने प्रकरण कमांक 08/2005–06/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 30–6–06 के द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 61/07–08/अपील में पारित आदेश दिनांक 27–8–08 के द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई कर प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के निगरानी प्रकरण 3/08–09 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 19–1–11 द्वारा अस्वीकार की गई।

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–8–08 के पालन में तहसील न्यायालय ने पुनः कार्यवाही प्रारंभ कर प्रकरण कमांक 70/2007–08/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 12–7–12 के द्वारा आवेदिका का नामांतरण स्वीकृत किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक जगदीश एवं रामकिशन ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 70/12–13/अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 27–2–13 को नायब तहसीलदार करैरा से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से पत्र जारी करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि आवेदिका ने जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय की थी। भूमि के संबंध में पूर्व में कई बार जांच हो जाने के बाद भी अपील में पुनः जांच की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः जांच के आदेश दिये हैं जो गलत है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई कर नियमों का पालन करते हुये वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश के पालन में विधिवत नामांतरण आदेश पारित किया गया फिर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं थी, अतः अपीलीय न्यायालय में पुनः उसकी जांच किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 30–1–13 का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे।

5/ अनावेदक कमांक 4 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क में कहा कि प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी दयाराम पिता वैजनाथ वैश्य थे जबकि रजिस्टर्ड विकय पत्र दयाराम पुत्र पन्नालाल खंगार द्वारा किया गया है। जब किसी व्यक्ति को भूमि विकय करने का अधिकार ही नहीं था तब उस विकय पत्र के आधार पर नामांतरण करने का औचित्य ही नहीं है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय को जांच के आदेश दिये थे। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में विधिवत जांच हो रही है जिसके पश्चात अपील में आदेश पारित होना बाकी है। इस स्थिति में निगरानी का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार के आदेश को अनावेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी है, जहां अनुविभागीय

अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 31–1–13 को तहसीलदार करैरा पटवारी ग्राम से भूमि से संबंधित जानकारी लिये जाने एवं खसरा तथा स्वत्व संबंधी जाने के आदेश दिये। आगामी पेशी दिनांक 27–2–13 को उक्त जानकारी प्राप्त न होने से पुनः तहसीलदार को पत्र जारी करने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में आये बिन्दुओं के आधार पर तहसील न्यायालय से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। अपील में किसी तथ्य की जानकारी एवं स्वयं की संतुष्टि के लिए पीठासीन अधिकारी सम्बन्धित रिकार्ड बुला सकता है तथा सम्बन्धित अधिकारी से वांक्षित जानकारी भी प्राप्त कर सकता है, परन्तु पीठासीन अधिकारी को यह देखना भी आवश्यक होगा कि इस प्रकिया में किसी ऐसे तथ्य पर विचार नहीं हो जो प्रकरण से सीधे सम्बन्ध नहीं रखे तथा न ही अनावश्यक विलम्ब हो।

7/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार से एक माह की अवधि में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति सहित जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर अधिकतम तीन माह में प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर